झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, रांची
झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (जसास)

भर्ती सूचना

झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (जसास) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी है। झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए निम्नवत कुल 11 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है:-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	आरक्षित पद
1	महाप्रबंधक (ऑपरेशन)	1,30,000	01	UR
2	वरिष्ठ परामर्शी (ऑपरेशन)	1,05,000	01	UR
3	वरिष्ठ परामर्शी (मेडिकल मैनेजमेंट एण्ड क्वालिटी)	1,05,000	01	UR
4	वरिष्ठ परामर्शी(आई0टी0 एण्ड डाटा)	50,000	01	UR
5	वरिष्ठ परामर्शी (आई0ई0सी0)	50,000	01	UR
6	परियोजना प्रमुख (ऑपरेशन)	1,30,000	01	UR
7	वित्त मैनेजर	1,05,000	01	UR
8	शिकायत निवारण मैनेजर	65,000	01	UR
9	डाटा एवं आई0 टी0 एनालिस्ट	50,000	01	UR
10	कार्यालय सहायक	28,000 *Wages according to Sankalp Issued by Dept. of Finance, Govt. of Jharkhand (vide Sankalp no. 1965, dt. 02.06.17)*	02	UR (1) ST (1)

A) संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति संबंधित नियमावली एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर प्रकाशित अधिसूचना का पालन किया जाएगा।

B) उपरोक्त कुल सभी 11 पद राज्य स्तर के लिए हैं।

C) उपरोक्त कुल सभी 11 पदों की अर्हता यथा–योग्यता, अनुभव, टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) एवं आवेदन फॉर्म के बारे में विवरण वेबसाइट – http://recruitment.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध हैं।

D) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों की समयावधि तक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकृत किया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे एवं इसके लिए जसास कार्यालय कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

E) पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

F) उपरोक्त कुल सभी 11 पदों के लिए अप्रतिदेय (non refundable) आवेदन शुल्क लागू है तथा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से स्वीकार्य है। बिना आवेदन शुल्क भुगतान किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे एवं वे रद्द किए जा सकते हैं।

G) आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिये अनारक्षित, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग–I, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–II के आवेदनों को 600/– रूपये तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/ अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिये 150/– रूपये का आवेदन शुल्क लागू है, साथ ही JAP-IT का शुल्क रूपए 100/– अनुमान्य है। दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को आवेदन शुल्क में पूर्ण छूट अनुमान्य है।

H) जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन शुल्क के साथ अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

I) इच्छुक अभ्यर्थी को वेबसाईट पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएं पूर्णरूपेण भर कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

J) प्रारंभिक चयन (शॉर्टलिस्टिंग) अपेक्षित योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के उपरांत ही अनुभव की गणना की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी तारीख और समय उन्हें ईमेल/मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

K) साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गए दावों के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति मूल सहित, पिछले 3 महीने की वेतन पर्ची, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं स्थानीय नागरिकता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

L) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

M) आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को देय होगा।

N) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

O) अभ्यर्थी को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा और परिवहन, रसद आदि का खर्च स्वयं ही उठाना होगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई टीए0/डीए0 देय नहीं होगा।

P) उम्मीदवार का अंतिम चयन योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत साक्षात्कार की श्रेणियों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

Q) चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष (1) के लिए संविदा पर की जाएगी। एक वर्ष के उपरांत संविदा अवधि में किये गये कार्य का मूल्यांकन संतोषप्रद पाए जाने पर ही संविदा अवधि में विस्तार किया जाएगा। सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर 1 माह के नोटिस पर संविदा कार्य से मुक्त किया जा सकता है।

R) आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

S) यदि किसी भी स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और इसके लिए विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

T) आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारी निदेशक, जसास को पूर्णतः या आंशिक रूप से भर्ती को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे रद्द/स्थगन के मामले में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

U) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भर्ती से संबंधित किसी भी मामले में जसास का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार या व्यक्तिगत प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

V) सभी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

(अबु इमरान)
कार्यकारी निदेशक, जसास।